

11/11/25

पत्रावली आप पेश हुई। प्रार्थनी वकील
उपास्थित। वकील प्रार्थनी द्वारा पत्रावली
में Note Press कर फेंकी की हिदायत
नहीं होना लंब किया। अतः प्रार्थनी वकील
द्वारा पत्रावली में Note Press करने से
पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली केवल
शुमार लेकर दायिले दफ्तर हो एवम् नम्बर
ले कर हो।

11/11/25
11/11/25

11/11/25
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

